Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAR-APR, 2022, VOL- 9/70
doi.org/10.21922/srjis.v9i70.10090

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण : मैनपुरी जनपद के विशेष संदर्भ में

अमित कुमार वर्मा[1] & कुमार राजीव रंजन[2], Ph. D.

[1]शोध छात्र, डॉ भीमराव आम्बेडकर वि० वि० आगरा
[2]एसो० प्रो०, समाजशास्त्र विभाग, श्री चित्रगुप्त पी०जी० कॉलेज मैनपुरी

Paper Received On: 25 APR 2022
Peer Reviewed On: 30 APR 2022
Published On: 1 MAY 2022

Abstract

शोध सार : *पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में ''महिला सशक्तिकरण'' के लिए एक सार्थक प्रयास है। महिला नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। महिलाओं की ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार व सशक्तिकरण की धारणा उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता का स्तर निम्न होना अशिक्षा एवं कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ा विषय है। महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस सन्दर्भ में अन्तर्सम्बन्धी प्रतीत होता है। यदि महिला नेताओं/प्रधानों के उत्तरों को समग्र रूप में देखा जाय तो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है जिससे इस आशा का संचार होता है कि अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी; आगे आने वाले समय में ज्यादा सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी। उत्तर प्रदेश की पंचायतों के लिये यह एक आशापूर्ण संकेत है। प्राथमिक आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि महिलाओं के आर्थिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रियता एवं योगदान सराहनीय है। महिलाओं के आर्थिक जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शासन की ओर से विभिन्न विकास योजनायें तथा कार्यक्रम संचालित हैं। जिसमें पंचायतीराज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त अपनी त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत अपने-अपने स्तरों पर अनुसूचित जाति की महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं।*

पारिभाषिक शब्दावली : पंचायती राज, महिला सहभागिता, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, राजनैतिक सशक्तिकरण

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समस्या–परिचय :

पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना भारत के योजनाकारों की एक अवश्यसम्भावी कल्पना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में किये गये विभिन्न सार्थक प्रयासों में '73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम' सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गम्भीर प्रयास है। इस संशोधन अधिनियम से जहां एक ओर इन पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया; वहीं दूसरी ओर ऐसे उपबन्ध भी किए गए जिससे कि पंचायतें स्वशासन की स्वतंत्र इकाईयाँ बनकर सरकार के सबसे निचले स्तर के रूप में कार्य कर सकें। निःसन्देह, महिलायें समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी अब तक की राजनीतिक सहभागिता के स्तर पर गहन चिन्तन तथा दृष्टिपात किया जाए तो वह अत्यन्त अल्प ही है। विद्वानों के अनुसार महिलाओं के राजनीति में वाँच्छित सक्रिय न होने के कई मूलभूत कारण रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण सन्दर्भो में राजनीतिक सहभागिता, ग्रामीण सामाजिक संरचना के कारण ही अपेक्षित सम्भव नहीं हो पायी है। '73वें संविधान संशोधन अधिनियम' में किए गए संवैधानिक प्रावधानों के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं में कुल स्थानों के एक तिहाई अर्थात् 33 प्रतिशत स्थान; महिलाओं के लिए ही आरक्षित किये गये हैं। आरक्षण के इस प्रावधान में सामान्य वर्ग के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान आरक्षित किए गये हैं। नवीन पंचायतीराज द्वारा प्रदत्त इस आरक्षण के प्रावधान से अनुसूचित जाति महिला जैसे दबे कुचले वर्ग को प्रथम राजनीतिक भर्ती का अवसर प्राप्त हुआ। उ.प्र. में प्रथम बार पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्थान्तर्गत स्थानीय चुनाव सन् 1995 में सम्पन्न किये गये, तत्पश्चात् स्थानीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जो कि भारतीय सामाजिक पद सोपान व्यवस्था में निम्नस्थ रहीं हैं। इसी क्रम में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी ''महिला सशक्तिकरण'' के लिए हो रहे प्रयासों का एक प्रमुख घटक भी है। ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों की

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भूमिका विशिष्ट एवं केन्द्रीय होने के कारण अध्ययन के लिए निदर्शन में इन्हें ही सम्मिलित किया गया है।

शोध अध्ययन का महत्व/उपादेयता :

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का अन्तिम लक्ष्य पंचायती राज की स्थापना करके महिलाओं व निर्बल वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक शोषण व उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए अधिक से अधिक प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करना है। स्पष्टतः पंचायती राज जनता का राज है, जिसके माध्यम से समाज के दबे कुचले लोगों को शक्ति सम्पन्न बनाना है। इस विधेयक में सन्निहित प्राविधानों के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं को सबल बनाने की सोच के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण की समुचित व्यवस्था पंचायतों के तीनों स्तरों पर की गयी है। जो इस विधेयक का मुख्य आकर्षण है। इससे सत्ता में इनकी भागेदारी तो बढ़ेगी ही; साथ ही इन्हें विकास करने के सम्पूर्ण अवसर भी सुलभ होगें। क्योंकि वे अपने उत्थान के लिए स्वयं निर्णय लेंगी।

अध्ययन का उद्देश्य :

अध्ययन के मुख्य एवं पूरक उद्देश्य निम्नवत् निर्धारित किए गये हैं–

(1) पंचायती राज में महिला नेतृत्व की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना ।

(2) पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महिला नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना।

(3) महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल्याँकन करना।

शोध–पद्धतिशास्त्र (अध्ययन का क्षेत्र, न्यादर्श, पद्धति तथा प्रविधियाँ) :

अध्ययन का समग्र :

अध्ययन का क्षेत्र/समग्र शोध सुविधार्थ उ.प्र. के आगरा मण्डल का मैनपुरी जिला चुना गया है क्योंकि शोधार्थी यहीं का निवासी है।

न्यादर्श तथा न्यादर्शों का चयन :

अनुसंधित्सु ने जिले में हुए विगत नवीन पंचायती राज चुनाव में पंचायत के तीनों स्तरों में से ग्राम पंचायत स्तरों पर निर्वाचित कुल 100 महिला जन प्रतिनिधियों का चयन सोद्देश्य किया है; जिनमें ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायतों की सदस्याएं सम्मिलित हैं।

अध्ययन की पद्धति एवं प्रविधियाँ :

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रमुख पद्धति के रूप में ''साक्षात्कार अनुसूची'' प्रकरणतः निर्मित करके सूचनादाताओं से आमने–सामने की स्थिति में 'व्यक्तिगत साक्षात्कार' सम्पन्न करते हुए 'अवलोकन' प्रविधि से प्राथमिक तथ्य संकलित गए हैं। तथा न्यादर्शों की मनोवृत्तियाँ जानने के लिए मनोवृत्ति मापकों यथा– लिकर्ट एवं थर्सटन को अपनाया गया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन पंचायत कार्यालयों के अभिलेखों, सचिवों तथा समाचार–पत्र, पत्रिकाओं द्वारा करके तत्पश्चात् मास्टरशीट का निर्माण कर प्राथमिक तथा द्वैतीयक आँकड़ों से सांख्यकीय गणनाएं करके तथ्यपरक निष्कर्ष स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन ''एक सूक्ष्म आनुभविक अध्ययन'' (Micro Empirical Study) है। शोध अध्ययन की प्रकृति 'वर्णनात्मक' है।

विवेचना एंव निष्कर्षः

पंचायती राज का क्रियान्वयन एवं महिला नेतृत्व का यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि नेतृत्व की सामाजिक–आर्थिक स्थिति औसतन निम्न स्तर की है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में परम्परागत रूप से निम्न स्थिति प्राप्त महिलाओं को नेतृत्व करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायती राज की विविध गतिविधियों में महिला वर्ग के नेतृत्व की स्थिति प्रशिक्षणार्थी के समान रही है। अशिक्षा, कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, कार्य के औपचारिक अनुभव का अभाव जैसे कारणों से इस नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति अनभिज्ञता अवलोकित की गई है। इसके बावजूद ग्रामीण विकास, पंचायत की समस्याएं अनुसूचित जाति वर्ग उत्थान जैसे विषयों पर इस नेतृत्व ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। इस वर्ग का पंचायतों में निर्वाचन अपेक्षाकृत सरलता से सम्भव हुआ। दलीय प्रतिबद्धता, चुनावी मुद्दे, निर्वाचन के कारणों को अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व ने स्पष्ट किया है। राजनीतिक अभिरूचि एवं सजगता की दृष्टि से संचार माध्यमों के प्रति जानकारी का स्तर औसत दर्जे का पाया गया है। बहुसंख्यक उत्तरदात्रियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव दिखाई देता है।

स्वतंत्रता के पश्चात समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्गों की प्रथम व्यापक राजनीतिक भर्ती का यह क्रम अभी लगभग प्रारम्भ ही हुआ है। समाज के

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सभी वर्गों ने इस पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन को नजदीकी से देखा एवं अनुभव किया है। पंचायती राज व्यवस्था का आगे चलने वाला अबाध क्रम अब ज्यादा प्रतिस्पर्द्धापूर्ण होगा। नेतृत्व के लिए ज्यादा योग्य एवं व्यवस्था को समझने वाले लोग प्रतिस्पर्द्धा में आयेंगे। ग्रामों के विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पंचायतों में आ गई है एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से आम जनों की सहभागिता का स्तर लगातार बढ़ा है। अनुसूचित जाति महिला जैसे पिछड़ों में पिछड़े वर्ग का पंचायतों में प्रतिनिधित्व स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं के सुदृढ़ीकरण एवं अवसर की समानता जैसी अवधारणाओं को मूर्तरूप देने में सहायक सिद्ध होगा। इससे ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण सामाजिक समरसता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में पंचायतें सफल हो सकेंगी।

उपर्युक्त निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि महिला नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता का स्तर निम्न होना अशिक्षा एवं कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ा विषय है। महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस सन्दर्भ में अन्तर्सम्बन्धी प्रतीत होता है। यदि अनुसूचित जाति के इन नेताओं/प्रधानों के उत्तरों को समग्र रूप में देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है जिससे इस आशा का संचार होता है कि अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी; आगे आने वाले समय में ज्यादा सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी। उत्तर प्रदेश की पंचायतों के लिये यह एक आशापूर्ण संकेत है।परिवार की राजनीतिक में सक्रियता, परिवार का पंचायतों में प्रतिनिधित्व, पंचायत चुनाव में भाग लेने की प्रेरणा, चुनाव के प्रमुख मुद्दे, चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या, मत प्राप्ति का आधार, चुनाव में भाग लेने का कारण, आरक्षण की जानकारी, महिलाओं हेतु आरक्षण, राजनीति में प्रवेश, राजनीतिक दल से सम्बद्धता, दलीय सम्बद्धता का कारण, संचार माध्यमों के प्रति जागरुकता, राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी, चर्चाओं के विषय, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षा जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

निष्कर्षः

आँकड़ों से किए गए विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि ग्रामीण महिला नेतृत्व ग्राम पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से उभर कर आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात (सोच) उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता का निम्न स्तरीय होना उनमें व्याप्त अशिक्षा एवं महिला होने के नाते कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति से जुड़ा विषय है। उत्तरदात्रियों में महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस सन्दर्भ में अन्तर्सम्बन्धी प्रतीत होता है। शोधार्थी को अपने आनुभविक अध्ययन में पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित बाधायें/ **चुनौतियाँ** परिलक्षित हुई हैं –

1. ग्रामीण महिलाओं का शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न है।
2. ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न है; अर्थात धन (वित्त) का अभाव ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख चुनौती है।
3. ग्रामीण महिलाओं में प्रशासनिक प्रशिक्षण का अभाव है।
4. सामाजिक रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधक हैं।
5. ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं है।
6. ग्रामीण महिलाओं में कानूनी समझ का अभाव है।
7. गाँवों में विद्यमान गुटबाजी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधक है।
8. ग्रामीण पुरूष के अपेक्षित सहयोग का अभाव एवं महिलाओं के प्रति नियंत्रण की भावना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बाधक है।

उपर्युक्त उत्तरों को गहराई से देखने व मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि महिला नेतृत्व की ग्राम पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी; आने वाले समय में और अधिक प्रभावशाली सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी जो भारतीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रसंग में एक अच्छा संकेत है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका '1'

महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचनादात्रियों के अभिमत

क्रम सं.	पंचायती राज संस्थाओं के राजनैतिक प्रभावों का विवरण	अभिमत (आवृत्तियां/प्रतिशत)			योग
		सहमत	उदासीन	असहमत (प्रतिशत)	
1.	आरक्षण मिल जाने के कारण अवसर प्राप्त हो सके हैं।	89	7	4	100
2.	शक्ति संरचना परिवर्तित हुई है ।	81	16	03	100
3.	राजनीतिक जागरूकता तथा चेतना प्रबल हुई है।	90	08	02	100
4.	महिलाओं में राजनैतिक चेतना का विकास हुआ है ।	81	15	04	100
5.	परम्परागत राजनीति का प्रभावघटा है।	95	01	04	100
6.	नेता के रूप में समाज में राजनीतिक प्रस्थिति प्राप्त करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है।	74	23	03	100
7.	राजनैतिक मामलों में महिलाओं की अभिरूचि बढ़ी है।	86	10	0	
8.	महिला अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी के प्रति राजनैतिक चेतना आयी है।	78	11	[illegible]	
9.	महिलाआमें आत्म विश्वास तथा स्वाबलम्बन की भावना बलवती हुई है।	83	09	[illegible]	

तालिका '2'

राजनैतिक सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सूचनादाताओं के अभिमत (लिकर्ट मनोवृत्ति मापक के अनुसार)

क्रमांक	सूचनादाताओं के अभिमतों के सीमा–विस्तार	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	सन्तुष्ट	59	59.00
2.	उदासीन/तटस्थ	26	26.00
3.	असन्तुष्ट	15	15.00
		100	100.00

संदर्भः

जायसवाल एम0 (2012) : नवीन पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, आदित्य पब्लिशर्स, बीना (म.प्र.) पृ. 87

शर्मा विजय लक्ष्मी(2011) : पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जन प्रतिनिधियों के विशेष संदर्भ में; देशबन्धु प्रकाशन रायपुर (म.प्र.) पृ.102

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भास्कर जयश्री (2010) :नवीन पंचायत राज– क्रियान्वयन; समस्याएं एवं समाधान (अनुसूचित जातियों की महिलाओं की भूमिकाओं के विशेष संदर्भ में) एक अध्ययन; साहित्यसागर प्रकाशन, जयपुर, पृ.2

शर्मा आर.पी. (2010) :पंचायतीराज : सफलता/असफलता का विकास के सन्दर्भ में मूल्यांकन : अनमोन पब्लिकेशन्स (प्रा.लि.), नई दिल्ली पृष्ठ–142

जोशी पी. के. (2010): अनुसूचित जाति विकास एवं नवीन पंचायती राज का क्रियान्वयन; दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 81

जैन प्रमिला (2010) : ग्रामीण अनुसूचित जातिय राजनीतिक अभिजन; क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृ. 37

खटीक बीरपाल (2009) : पंचायतें– अतीत, वर्तमान एवं भविष्य; कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी (प्रा.लि.) नई दिल्ली, पृ. 262

सोनी अवतार (2008) : लीडरशिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर– विद स्पेशल रिफरेन्श टू नवीन पंचायती राज; स्टरलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. 116

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies